

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
3. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
4. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
5. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
8. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: स्था0/01/2021/19733-982

दिनांक: 24/08/2021


Subject:- Pre-requisite for RTS Auto Appeal System for on-boarding of Department.

उपरोक्त विषयोक्त के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत श्रम विभाग व हरियाणा भवन एवम अन्य सर्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जिन सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है, उनमें से कुछ सेवाओं में आपको बतौर नामित अधिकारी व प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारण घोषित किया हुआ है। इन सेवाओं से सम्बन्धित नामित अधिकारी व प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारण की एन0आई0सी0 द्वारा जारी ई-मेल आई0डी0 की प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को भेजी जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 कार्यालयों से सम्बन्धित एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके कार्यालय की एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 नहीं बनी हुई है तो ऐसी दशा में एन0आई0सी0 के क्षेत्रिए कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करते हुए अति शीघ्र एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 बनवाकर भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।